कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर, मध्यप्रदेश

******

क्रमांक 370 /निर्वाह शाखा/2025 सागर, दिनांक 10 /06/2025

// ई- टेण्डरिंग द्वितीय वार्षिक निविदा आमंत्रण सूचना //

(वार्षिक ठेका) वर्ष 2025-26

केन्द्रीय जेल सागर में आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संशोधित- 2022) के प्रावधान अंतर्गत कार्यालयीन उपयोग में लगने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी सामग्री एवं अन्य आवश्यक सामग्री के क्रय हेतु ई-टेण्डरिंग पद्धति के माध्यम से ऑन–लाईन द्वितीय वार्षिक निविदा आमंत्रित की जाती है। वार्षिक निविदा की जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर प्राप्त की जा सकेगी।

निविदा कार्यक्रम विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	विवरण	दिनांक व समय	स्थान
1.	ऑनलाईन निविदा का प्रकाशन एवं ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि	16.06.2025	वेबसाईट www.mptenders.gov.In पर प्राप्त किये जा सकेगें।
2.	प्री-बिड मीटिंग	20.06.2025 दोपहर 12:00 बजे से	संबंधित केन्द्रीय / जिला / सब जेल के कार्यालय में जिस हेतु निविदा प्रस्तुत की गई है।
3.	ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तथा ई-निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रूपये 500/- एवं 05 लाख से अधिक रूपये – 1000/- प्रति निविदा फार्म क्रय मूल्य ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056, जेलें-800 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा	30.06.2025 शाम 05:30 बजे तक	वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन आमंत्रित की जावेगी।
4.	ऑनलाईन तकनीकी निविदा खोलनें की नियत तिथि	02.07.2025 दोपहर 12:00 बजे से	कार्यालय अधीक्षक केन्द्रीय जेल सागर, जिला - सागर मध्यप्रदेश

निविदा फार्म ऊपर दर्शित वेबसाईट पर (online system) क्रेडिट कार्ड या ऑनलाईन भुगतान कर ही क्रय किये जा सकते है। निविदा एवं उससे संबंधित समस्त जानकारी ऊपर दर्शाई गई वेबसाईट पर देखे। निविदा संबंधी समस्त कार्रवाई संबंधित केन्द्रीय / जिला / सब जेल अधीक्षक द्वारा की जावेगी।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.

-: निविदा की शर्ते :-

1. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कार्यालयीन कार्य में लगने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी एवं अन्य आवश्यक सामग्री क्रय की कार्यवाही मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 (यथा संसोधित-2022) के अन्तर्गत ई-टेण्डरिंग के माध्यम से अर्थात ऑनलाईन की जाएगी।
2. निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी बेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 5 लाख तक रूपये 500 एवं 5 लाख से अधिक रूपये 1000, प्रति निविदा फॉर्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056 – जेलें - 800 अन्य प्राप्तियां में जमा करना होगा।
3. निविदाएं खण्डवार पृथक-पृथक ऑनलाईन जमा की जाएंगी। निविदा में 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि खण्डानुसार www.mptenders.gov.in पर ऑनलाईन स्वीकार की जाएंगी। 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	खण्ड का नाम	कुल लागत	3 प्रतिशत प्रतिभूति राशि
1.	कार्यालयीन कार्य में लगने वाली विभिन्न प्रकार की स्टेशनरी एवं अन्य सामग्री	4,00,000.00	12,000.00

4. वार्षिक ई-निविदा में दर्शायी गयी वस्तुओं के भाव अधिकतम दिनांक 30.06.2026 अथवा अगले वर्ष का ठेका स्वीकृत होने तक , जो भी प्रथम हो, वैद्य रहेंगे।
5. वस्तुओं की गुणवत्ता औसत स्तर की होनी चाहिए। प्रत्येक निविदाकार को सामग्री की दरें ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होंगी। निविदा में जो दरें प्रस्तुत की जाएं वे समस्त करों सहित होनी चाहिए। पृथक से कोई कर देय नहीं होगा।
6. उन्हीं निविदाकारों की निविदा स्वीकृत होगी, जो वस्तु एवं सेवाकर (GST) के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यापारी होंगे। प्रत्येक निविदाकार को निविदा के साथ निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जीएसटी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जीएसटी रिर्टन प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदाएं संबंधित जेल कार्यालय में उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों एवं क्रय समिति की उपस्थिति में निर्धारित तिथि को नियत समय पर खोली जाएंगी। तिथि परिवर्तन की सूचना www.mptenders.gov.in पर अपलोड कर एवं जेल के सूचना पटल पर लिखित में चस्पा कर दी जाएगी एवं निविदाकारों को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा।
8. प्रत्येक निविदाकार द्वारा निविदा के साथ आवश्यक रूप से कारागार अधिनियम, 1894 की धारा-10 एवं जेल मुख्यलाय मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3/ भोपाल दिनांक 28.01.2015 के प्रावधान के अनुसार क्रमशः प्रपत्र-(अ) एवं (ब) में पृथक-पृथक 50-50 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर मूल प्रति में नोटरी द्वारा प्रमाणित कर शपथ पत्र भी आवश्यक रूप से बनाये व इसको ई- टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करें। शपथ पत्र के अभाव में निविदा मान्य नहीं होगी।

प्रत्येक जेल की निविदा के लिए पृथक – पृथक शपथ पत्र बनाया जाये। शपथ पत्रों का प्रारूप निम्नानुसार है :-

शपथ पत्र-अ

(कारागार अधिनियम-1894 की धारा 10 के प्रावधान के अनुरूप)

मैं...जो केन्द्रीय / जिला / सब जेल ....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म......................................की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म................................के मालिक/भागीदार अथवा कोई निकट परिजन मध्यप्रदेश के जेल विभाग में किसी भी स्थान पर, किसी भी पद पर नियोजित नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

शपथ पत्र-ब

(जेल मुख्यालय के परिपत्र क्रमांक 05/वारंट-3 बंदी मृत्यु/2015/भोपाल दिनांक 28.01.2015)

मैं...जो केन्द्रीय / जिला/ सब जेल ....के लिए सामग्री प्रदाय हेतु फर्म..की ओर से निविदा प्रस्तुत कर रहा हूँ, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म................................के मालिक/भागीदार किसी भी आपराधिक प्रकरण में जेल से जमानत पर रिहा नहीं है।

हस्ताक्षर शपथकर्ता

9. तहसील या मंडी या खाद्यान्न क्रय समिति की दरें निविदा खोलने की दिनांक के पूर्व प्राप्त न होने की स्थिति में, क्रय समिति के विवेक पर एक सप्ताह में प्राप्त करने की शर्त पर, निविदा खोलने की तिथि बढ़ाई जा सकेगी।

10. निविदा में निविदाकारों द्वारा निम्नानुसार स्वयं हस्ताक्षरित एवं फर्म की सील सहित दस्तावेज ऑनलाईन पोर्टल www.mptenders.gov.in पर अपलोड कराएं जाएंगे। तकनीकी बिड खुलने के पश्चात् ऑनलाईन अपलोड दस्तावेजों का क्रय समिति द्वारा परीक्षण कर, हस्ताक्षर किए जावेगें। अपठनीय, अस्पष्ट एवं संदेहास्पद दस्तावेज की मूलप्रति मंगाकर जेल अधीक्षक तस्दीक करेंगे। निविदाकार द्वारा मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने की दशा में उसकी 3 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति की राशि (E.M.D.) राजसात कर ली जाएगी। तकनीकी बिड में पात्र निविदाकर्ता के ही वित्तीय प्रस्ताव (Financial bid) खोले जायेगें :-

i. आधार कार्ड एवं पैन कार्ड।
ii. मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 के अधीन पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र।
iii. जी.एस.टी. पंजीयन एवं निविदा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से पिछले तीन माह का जीएसटी रिटर्न अथवा पिछली तिमाही (Quarter) का जीएसटी रिटर्न प्रमाण पत्र।
iv. विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न प्रमाण-पत्र।
v. शपथ पत्र "अ" एवं "ब"।
vi. वस्तुओं के व्यापार संबंधी नगर निगम / नगर पालिका / नगर परिषद का वैध लायसेंस। इन संस्थाओं द्वारा वैध लायसेंस जारी न करने की दशा में उनका स्पष्ट पत्र।

vii. निविदा में उल्लेखित सामग्रियों के अपेक्षित नमूनों से संबंधित-पत्र।

viii. वस्तुओं के ब्रांड से संबंधित-पत्र।

ix. निविदाकार फर्म का नाम किसी भी विभाग में काली सूची (Blacklist) में नहीं होने का घोषणा - पत्र।

11. निविदा के साथ संलग्न किये गए दस्तावेजों का उनके जारीकर्ता विभाग से सत्यापन कराया जा सकता है। सत्यापन के दौरान यदि दस्तावेज फर्जी अथवा गलत पाये जाते हैं , तो संबंधित व्यापारी का ठेका निरस्त कर, उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

12. निविदा में दर्शाई गई सामग्री की मात्रा अनुमानित है। आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मात्रा कम या अधिक की जा सकती है। सफल निविदाकार्ता को निर्धारित अवधि में सामग्री का प्रदाय स्वीकृत ट्रेडमार्क या नमूने के अनुरूप करना होगा। कोई भी सामग्री उपरोक्तानुसार न होने पर स्वीकार नहीं की जाएगी। अस्वीकृत माल ठेकेदार को अपने व्यय से तुरन्त वापस ले जाकर , नमूने अनुसार माल प्रदाय करना होगा। प्रदाय न करने पर खुले बाजार से माल क्रय किया जाकर शासन को हुए अधिक व्यय की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। यह वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में या उसकी जमा निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) राशि में से की जा सकेगी, साथ ही उसे भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड करने हेतु कार्रवाई की जाएगी।

13. निविदा में उल्लेखित सभी वस्तुएं शासकीय / अर्धशासकीय / शासन द्वारा अधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रदाय न करने की स्थिति में ही, स्वीकृत निविदाकारों से क्रय की जाएगीं।

14. जिस निविदाकार की निविदा जेल की क्रय समिति द्वारा स्वीकार करने की अनुशंसा की गई हो, उसे 10 दिवस के अंदर पंजीयन एवं स्टांप (वाणिज्यक कर) विभाग मध्यप्रदेश के निर्धारित स्टांप शुल्क अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टांप पर करारनामा भरना होगा, जिसकी प्रति संबंधित जेल कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

15. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जाएगी। ठेके की शर्तों के क्रियान्वयन के लिये सफल निविदाकर्ता, निविदा में लेख रकम के बराबर का शोध क्षमता प्रमाण-पत्र या उसके बदले में निविदा की रकम के 03 प्रतिशत तक निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) डिमांड ड्राफ्ट / मियादी जमा रसीद / बैंकर्स चैक / बैंक गारंटी / Irrevocable के रूप में देगा, बैंक गारंटी का सत्यापन संबंधित बैंक से कराया जाएगा। प्रतिभूति की राशि जेल अधीक्षक केन्द्रीय सागर के पदनाम से देय होगी। 03 प्रतिशत निष्पादन प्रतिभूति की राशि निविदा स्वीकृत होने के 10 दिवस के अंदर जमा करनी होगी।

16. निविदा महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं , मध्यप्रदेश के अनुमोदन उपरांत ही मान्य होगी। निविदा खुलने के बाद, यदि न्यूनतम दर वाली निविदाकर्ता (L1) निविदा वापस लेते हुये करारनामा भरने एवं निष्पादन प्रतिभूति (Performance Guarantee) जमा करने से इंकार करता है, तो उसका टेंडर निरस्त करते हुये उसके द्वारा जमा की गई 03 प्रतिशत निविदा प्रतिभूति (Earnest Money Deposit) की राशि जप्त कर ली जाएगी और संबंधित खण्ड / सामग्री की निविदा पुन: आमंत्रित की जाएगी।

17. सफल निविदाकर्ता को समस्त पूर्तियाँ समझौते के अनुसार किश्तों में आवश्यकतानुसार दैनिक / साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक इन्डेंट के आधार पर संबंधित जेल गेट पर करनी होंगी। इसके लिये कोई अतिरिक्त भाड़ा देय नहीं होगा। इन्डेंट प्राप्त करने की जवाबदारी निविदाकार की होगी।

18. प्रत्येक निविदाकार को पत्राचार करने के लिए अपने अधिकृत मोबाइल नम्बर / Whatsapp Number / Email ID देना अनिवार्य होगा। जिन निविदाकारों ने निविदा प्रस्तुत करते समय फर्म के प्रिंटेड लेटर पर मोबाइल नम्बर / Whatsapp Number / Email ID में से कोई एक भी अंकित किया है, तो उसे भी मान्य किया जावेगा। उक्त अधिकृत माध्यमों पर दी गई सूचना सभी प्रयोजनों के लिए मान्य होगी।

19. देयकों का भुगतान संबंधित जेल द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। सामग्री के भुगतान के समय नियमानुसार जो भी कर काटने योग्य होगा, काटा जाएगा। विशेष परिस्थिति में भुगतान हेतु, डिमांड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक पर बैंक का कमीशन भी व्यापारी से काटा जाएगा। देयकों के भुगतान में बिलंब होने के कारण वस्तुओं का प्रदाय रोकने का अधिकार ठेकेदार को नहीं होगा।

20. महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश को संबंधित जेल की क्रय समिति द्वारा अस्थाई रूप से स्वीकार की गई निविदा की पुष्टि करने या अभिलिखित कारणों के आधार पर उसे अंशत: स्वीकृत या नामंजूर करने का अधिकार है।

21. निविदा तथा करारनामें के अनुसार पूर्ति के संबंध में सभी विवाद संबंधित जेल के जिले में स्थित सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होंगे।

जेल अधीक्षक
केन्द्रीय जेल सागर म.प्र.

Signature Not Verified
Digitally signed by MANENDRA SINGH
Date: 2025.06.12 10:51:06 IST
Location: Madhya Pradesh-MP